



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30042025-262784
CG-MH-E-30042025-262784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]
No. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 अप्रैल, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन)

विनियमावली, 2025

फा.सं. फेमा. 10 (आर)(6)/2025-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं. फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -

- यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।
- यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. अनुसूची II में संशोधन:

मूल विनियमावली में, अनुसूची II में, 'डायमंड डॉलर खाता/खाते खोलने के लिए आवेदनपत्र' शीर्षक वाले अनुबंध में, पहले पैराग्राफ में, "2 वर्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./56/2025-26]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण-भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 21.01.2016 जीएसआर संख्या 96 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधित किए गए:

जीएसआर सं. 570(ई) दिनांक 01.06.2016

जीएसआर सं. 160(ई) दिनांक 27.02.2019

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(3)/2024-आरबी, दिनांक 23 अप्रैल 2024

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(4)/2024-आरबी, दिनांक 21 नवम्बर 2024

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(5)/2025-आरबी, दिनांक 14 जनवरी 2025

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 29th April, 2025

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Sixth Amendment) Regulations, 2025

F. No. FEMA 10 (R)(6)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations') namely:

1. Short Title And Commencement:-

- (i) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Sixth Amendment) Regulations, 2025.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule II:

In The Principal Regulations, In Schedule II, In The Annex Titled 'Application For Opening Diamond Dollar Account/S', In The First Paragraph, For The Words And Figures "2 Years", The Words "Three Years" Shall be Substituted.

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./56/2025-26]

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R.No.96(E) and subsequently amended as under:

G.S.R. No.570(E) dated 01.06.2016

G.S.R. 160(E) dated 27.02.2019

Notification No. FEMA. 10R(3)/2024-RB dated 23.04.2024

Notification No. FEMA. 10R(4)/2024-RB dated 21.11.2024

Notification No. FEMA 10(R)(5)/2025-RB dated 14.01.2025